संख्या-2/2022/61/सैंतीस-2-2022-1(31)/2017टीसी-1

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-11 जनवरी, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-56/सा0-2/बारह-573/2021-22, दिनांक-11.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु रू0-27500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-137/2021/2233(4)/सैंतीस-2-2021-1(31)/2017टीसी-1, दिनाँक-21.12.2021 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि में से सम्प्रति रू0-10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि का आहरण/व्यय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि धनराशि का व्यय करते समय शासनादेश संख्या-137/2021/2233(4)/सैंतीस-2-2021-1(31)/2017टीसी-1, दिनाँक-21.12.2021 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-2/2022/61/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।